

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 299/2014

UPRN180001272014



सरकार

बनाम

रामगोपाल आदि

धारा 325, 323, 504 भा०द०सं०

मु०अ०सं० 189/2013

थाना सजेती, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप लोगों रामगोपाल, सुशील व महेन्द्र को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम- यह कि दिनांक 06/05/2013 को समय 12.00 बजे रात बहद स्थान ग्राम बरीमहतैन थाना सजेती जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा राधा को लाठी-डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **325 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा राधा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **323 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा राधा को लोकशान्ति भंग कराने के प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा **504 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप लोगों को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 01/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 01/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562